Gujarat State Fertilizer Company Ltd. (GSFC) has, however, reported that the writ petition has been filed by a group of officers whose services had been terminated and the writ petition is not regarding the safety of the plants. They have also pointed out to the good safety record of the company and the various safety awards won by it from time to time; and that the company has highly qualified consultants on safety. They have refuted the allegations published in the Gujarat press.

कानूनी सलाह के लिये अधिवक्ता

2262. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य विभाग में कानूनी सलाह देने तथा अदालतों में मुकदमों की पैरवी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ती की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कहां-कहां कितने अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और उनकी फीस और अन्य सुविधाओं पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मौहम्मद खान) (क) कम्पनी कार्य विभाग, जहां भी आवश्यक होता है विधि मंत्रालय से कानूनी सलाह लेता है । उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालयों में मामलों (केसों) का प्रतिवाद करने के लिए विधि मंत्रालय की नामिका सूची से अधिवक्ताओं को लिया जाता है । कम्पनी रजिस्टरों द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले, छोटे न्यायालयों में साधारणत: कम्पनी अभियोजकों द्वारा, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 624क के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं और जो सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी हैं, संचालित किये जाते हैं । शासकीय समापकों द्वारा रखे गये अधिवक्ताओं को सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के कम्पनी जज के अनुमोदन पर नियुक्त किया जाता है । जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष मामलों को संचालित करने के लिए अधिवक्ताओं को विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नामिका सूची से रखा जाता है ।

(ख) इस सूचना का संकलन करने में अत्यधिक समय लगेगा क्योंकि इसे सारे देश में फैले हुये विभिन्न कार्यालयों से एकत्र करना पड़ेगा जो सम्भवत: प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । तथापि, किसी विशेष मामले में अगर माननीय सदस्य वस्तुत: इच्छुक है, तो, वह सूचना प्रस्तुत करदी जायगी ।

न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता

2263. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय सभी जगहों पर अलग अलग नियुक्त किये गये अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला एवं पिछड़े वर्गों लोगों की संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग). अनेक मामलों में भारत संघ का उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में उन अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो या तो स्थायी काउंसेल होते है या जिनका नाम विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा रखे गये पैनल में दर्ज होता है । इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे अन्य प्रशासनिक मंत्रालय अधिवक्ताओं का अपना एक पैनल रखते हैं और कुछ मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के अनुमोदन से, ऐसे काउन्सिलों